न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थितः बद्री विशाल पाण्डेय, एच0जे0एस0
UPKS010019672026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :63/2026

रामप्रकाश पुत्र रामप्रताप निवासी ग्राम देवराजपुर, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0सरकार .....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं.–76/2026
धारा–351(2),339, 338, 336(3), 318(4) बी0 एन0 एस0
थाना–कोखराज
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से..... श्री विकास कुमार शुक्ल, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी, डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

13.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राम प्रकाश, जो मु0 अ0 सं0–76/2026, धारा–351(2),339, 338, 336(3), 318(4) बी0 एन0 एस0, थाना–कोखराज, जनपद–कौशाम्बी में वांछित है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उनके द्वारा किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी कि उसके पति रामबरन पटेल गम्भीर टीवी मर्ज से ग्रसित थे, जिसके कारण अपनी कीमती जमीन बेच डाला और दवा इलाज कराया। शेष 6 लाख रुपया अपनी पत्नी के खाता बैंक आफ बड़ौदा शाखा भरवारी, थाना कोखराज, जनपद–कौशाम्बी में जमा कर दिया, जिसका पता गांव के शिवबरन सिंह को चल गया और उक्त पैसा को हड़पने व ठगी करने की नियत से कपटपूर्वक छल करते हुए अपने सहयोगी रामप्रकाश से साजिश एवं षडयंत्र करते हुए इससे सम्पर्क करके ठगी करने के लिये लालच दिया कि वह अपना 6 लाख रुपया बीमा कम्पनी में जमा कर देगी तो उसे दिनांक–27/10/2021 को मु0–12,12,000/–रु0 प्राप्त होगें, और इसकी दोनों पुत्रियों की शादी आराम से हो जायेगी। वह इसे झांसे में लेकर इसके खाते बैंक आफ बड़ौदा से 6 लाख रुपया दिनांक–27/10/2015 को जरिये आरटीजीएस अपने सहयोगी रामप्रकाश के खाते में ट्रांसफर करवा लिया और प्रार्थिनी को 2 पालिसी बान्ड सर्वजना कार्पोरेशन प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट आफिस का, रुपया हड़प करने की बदनियती से ठगी व जाल फरेब करते हुए, कूटरचित 2 बान्ड मु–3–3 लाख रुपये के दिया । वह अनपढ़ होने के कारण समझ नहीं

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.07.16 09:40:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पायी। जब उसकी जमा धनराशि 6 लाख रूपये सन् 2021 को पूरी हो गयी तो उसने शिवबरन से सम्पर्क किया और अपना रुपया मांगा कि मेरी लड़की की शादी बिल्कुल नजदीक आ गयी है, तो उक्त शिवबरन व रामप्रकाश हीला–हवाली व आज कल–आज कल व बहाना बाजी करते चले आये, तब प्रार्थी को पूर्ण शंका हुई तो उक्त दोनों लोंग उसका रूपया ठग लिये हैं, और उसे फर्जी कम्पनी का बान्ड प्रलोभन एवं झांसा देकर फर्जी व कूटरचित कम्प्यूटर से जनरेट करके बान्ड दिया, तब प्रार्थिनी ने उक्त लोगों से कहा कि उसका पैसा कम्पनी से दिलाईये, इसकी लड़की की शादी बिल्कुल नजदीक है, तब शिवबरन ने कहा कि वह अपने सहयोगी रामप्रकाश, जिसके खाते में रुपया जरिये आरटीजीएस गया है, उससे कहकर दिला देंगे, लेकिन उसका रूपया नहीं दे रहे हैं व बेईमानी पर अमादा हैं। उक्त लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उस गरीब महिला का रुपया दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थिनी को शिवबरन व रामप्रकाश जान से मारने की धमकी देते हैं, और कहते हैं कि यदि रुपया मांगी तो जान से मार डालेंगे, रूपया मांगना भूल जाओ यदि कहीं शिकायत किया तो जिन्दा नहीं बच पाओगी, प्रार्थिनी को सख्त जान माल व रूपया हड़प किये जाने का खतरा है, रक्षा किया जावे। प्रार्थिनी ने इस सम्बन्ध में कई प्रार्थनापत्र अधिकारियों व थानाध्यक्ष कोखराज के समक्ष दिया, तब उक्त विपक्षी शिवबरन पटेल ने मु–2 लाख रुपया का चेक दिया, उसके बाद आज तक कोई धनराशि नहीं दिया, किन्तु कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कथित जुर्म नहीं किया है, उसे फर्जी रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी को आशंका है कि अगर प्रार्थी थाना बयान देने जायेगा व अपने बचाव में साक्ष्य लेकर विवेचक के पास जायेगा तो उसको गिरफ्तार कर बेइज्जत करते हुए जेल भेज देंगे। प्रार्थी अपनी निर्दोष होने का साक्ष्य नहीं दे पायेगा। प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए यह झूंठा आरोप लगाया है। प्रार्थी ने कोई कूट रचना नहीं की है और न ही जालसाज करके दस्तावेज तैयार कराये और न ही ठगी का लालच दिया। थाना कोखराज की पुलिस बराबर पूछताछ कर रही है व उसके घर वालों को परेशान कर रही है। अतः उनका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा का छः लाख रूपया दिनांक 27.10.2021 तक मु0 12,12,000/– प्राप्त होने की लालच देकर सर्वजन कार्पोरेशन प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड कापोरेट आफिस का कूटरचित 2 बांड मु0 3–3 लाख रूपये का दिया। समय पूर्ण होने पर जब वादिनी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य से मिली तो वे हीला हवाली किए, उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर मु0 2 लाख रूपया का चेक शिवबरन पटेल ने दिया और रूपया मांगने पर शिवबरन व राम प्रकाश जान से मारने की धमकी देते है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी करके, वादिनी मुकदमा का छः लाख रूपया, प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में जमा कराकर, दिनांक 27.10.2021 तक मु0 12,12,000/– प्राप्त होने का लालच देकर, सर्वजन कार्पोरेशन प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड कापोरेट आफिस का कूटरचित 2 बांड मु0 3–3 लाख रूपये का दिया जाना तथा समय पूर्ण होने पर वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य से अपना रूपया दिलाने के लिए कहने पर, उनके द्वारा हीला हवाली करना तथा

उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर मु0 2 लाख रूपया का चेक शिवबरन पटेल द्वारा दिया तथा और रूपया मांगने पर शिवबरन व राम प्रकाश द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं। प्रथम सूचना रिपेार्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में ही वादिनी मुकदमा का 6 लाख रूपया ट्रांसफर कराकर लिया गया था। विवेचक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये हैं। विवेचक को गवाहों ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस तथ्य इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, प्रार्थी/अभियुक्त राम प्रकाश की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP2025
दिनांकः13.07.2026